पत्रांकः 6737 /XLIV/2010–11

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त/
राज्य कृषि संगणना आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून; दिनांकः 14 अक्टूबर, 2010

विषयः—आगामी कृषि गणना वर्ष 2010–11 के लिए भू–अभिलेखों को अध्यावधिक किया जाना।

महोदय,

सचिव, कृषि भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–11015/20/2008-ACU(T), दिनाँक 14–01–2010 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आगामी कृषि गणना, वर्ष–2010–11 (कृषि वर्ष 01 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2011) को सन्दर्भ वर्ष मानते हुए प्रारम्भ की जानी हैं। कृषि गणना प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व भू–अभिलेखों को अध्यावधिक किया जाना है, यथा मौके पर जाँच कर प्लाट नं0, क्षेत्रफल, फसल, सिंचित–असिंचित, स्वामित्व इत्यादि का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। क्रय–विक्रय भूमि एवं मृतक काश्तकारों का उनके आश्रितों के नाम दाखिल खारिज की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। अभिलेखों में किसी भी काश्तकार का नाम छूटने न पाये, पड़ताल के समय खसरा में सभी इन्द्राजियां सही–सही अंकित करते हुए खतौनी को भी अध्यावधिक किया जाय। भू–अभिलेखों की स्थिति अध्यावधिक होने पर ही कृषि गणना कार्य प्रणाली में वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव होगी।

अतः वर्ष 2010–11 को लैण्ड रिकार्ड वर्ष घोषित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद से सम्बन्धित समस्त भू–अभिलेखों को अध्यावधिक किया जाना सुनिश्चित करते हुए प्रगति इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0 सी0 शर्मा) 13/10
मुख्य राजस्व आयुक्त/
राज्य कृषि संगणना आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या एवं दिनाँक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप महानिदेशक, कृषि गणना, भारत सरकार कृषि मन्त्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
4– अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5– संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी, कृषि निदेशालय, देहरादून।

मुख्य राजस्व आयुक्त/
राज्य कृषि संगणना आयुक्त